न्यायालय जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री बी.एल.कोठारी
आई.ए.एस

अपीलान्ट बनाम रेस्पोडेन्ट

देवाराम पुत्र हरसिंगाराम जिला रसद अधिकारी जालोर
जाति पुरोहित निवासी आमली
तहसील चितलवाना जिला जालोर

प्रकरण अपील संख्या 24/2017

अपील अर्न्तगत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976

....

पक्षकारान :-
1-श्री मुमताज अली/रिजवान अली अभिभाषक अपीलान्ट।
2-सुश्री नमिता, प्रर्वतन निरीक्षक

निर्णय

दिनांक:-22.01.2018

1. अपीलान्ट के वकील द्वारा यह अपील जिला रसद अधिकारी जालोर द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रकरण संख्या 54/2017 अनवान सरकार बनाम मैसर्स देवाराम, उचित मूल्य दुकानदार ग्राम आमली में दिनांक 07.11.2017 में पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की हैं।

2. अपीलांट के वकील द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिए सम्मन सूचित किया गया। अपीलाधीन आदेश से संबंधित पत्रावली तलब की गई। जो प्राप्त होने पर प्रकरण में संबंधित पक्षो की बहस सुनी गई।

3. अपीलांट के अभिभाषक ने व्यक्त किया कि अपीलांट ग्राम आमली एवं हिन्डवाडा तहसील सांचौर में उचित मूल्य का सामान वितरण का लाईसेन्सधारी था। जिसका माह सितम्बर 2016 में गेहूं का वितरण सही नहीं होना मानकर अदालत मातहत ने अपीलांट का प्राधिकरण पत्र तुरन्त प्रभाव से निरस्त करने का आदेश देने में अदालत मातहत ने कानूनी व वाक्याती भूल की है। दिनांक 05.06.2017 को ई.ओ. सांचौर ने जिला रसद अधिकारी जालोर को सूचना दी कि माह सितम्बर 2016 में अपीलांट द्वारा 143.650 क्विटल गेहूं वितरण रजिस्टर में बताया गया है जो नियमानुसार वितरण नहीं करना तथा जनवरी 2017 में भी पोस मशीन के 144.35 क्विटल गेहूं वितरण बताया जाना तथा कार्यालय में उपलब्ध सूचना में 110.45 क्विंटल ही गेहूं वितरण करना बताकर अनियमितता करना बताकर रिपोर्ट पेश की। जिस पर अदालत मातहत ने अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त करने का आदेश दिनांक 14.06.2017 को जारी करते हुए दिनांक 23.06.2017 को प्रकरण दर्ज किया। जिस पर अपीलांट ने दिनांक 11.07.2017 को अपना स्पष्टीकरण पेश किया लेकिन आगे बिना जांच किये आदेश जेर अपील दिनांक 07.11.2017 पारित करने में अदालत मातहत ने कानूनी व वाक्याती गलती की है। अदालत मातहत ने आदेश दिनांक 11.07.2017 में आदेश दिया था कि ई.ओ सांचौर डिलर के माह सितम्बर 2016 से जून 2017 तक के नक्शो की ऑनलाईन वितरण से मिलान की जांच करे। लेकिन ऐसी कोई जांच नहीं की गई तथा इस संबंध में ई.ओ. के बयान भी नहीं लिये जो प्रकिया की त्रुटि है फिर भी आदेश जैर अपील पारित करने में अदालत मातहत ने कानूनी व वाक्याती गलती की है। अपीलांट ने दिनांक 11.07.2017 को जबाब पेश किया फिर भी आर्डरशीट में जबाब रेकर्ड पर नहीं लिया तथा जबाब के तथ्यो पर शाहदत सबूत लिये बगैर तथा जांच किये बिना आदेश जैर अपील पारित आदेश निरस्त योग्य है। ई.ओ. सांचौर ने वितरण रजिस्टर सीज नहीं किया तथा गेहूं मौजूद का तोल नहीं करवाया तथा राशनकार्ड धारक को वितरण किया या नहीं इस संबंध में उनके बयान नही लिये। अदालत मातहत ने स्वतंत्र जांच किये बगैर मात्र ई.ओ की रिपोर्ट पर आदेश जैर अपील पारित निरस्त योग्य है। अतः अपीलाधीन आदेश खारिज करते हुए अपील स्वीकार की जावे।

4. प्रर्वतन निरीक्षक ने बहस में व्यक्त किया कि अपीलांट डीलर द्वारा पोस मशीन के माध्यम से वितरण किया जाना था जो नही किया गया। डीलर द्वारा माह सितम्बर 2016 में 143.65 क्विंटल गेहूं का वितरण वितरण रजिस्टर से किया गया। डीलर द्वारा माह जनवरी 2017 में पोस मशीन संख्या 1002 से 144.35 क्विंटल 143.65 क्विंटल गेहूं

sd-

वितरण है। मासिक प्रपत्र में अन्य सामग्री केरोसीन व चीनी की सूचना दर्ज नहीं की जाने से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। डीलर को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो विधीवत होने से अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

5. बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण डीलर द्वारा अनियमितता बरतने पर दर्ज कर अपीलांट को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जिस पर अपीलांट द्वारा दिनांक 11.07.2017 को जवाब पेश किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विभागीय निर्देशानुसार पोस मशीन से वितरण नहीं किया गया,डीलर द्वारा माह सितम्बर 2016 में 143.65 क्विंटल गेहूं का वितरण वितरण रजिस्टर से किया गया। डीलर द्वारा माह जनवरी 2017 में पोस मशीन संख्या 1002 से 144.35 क्विंटल 143.65 क्विंटल गेहूं वितरण किया जाना बताया है तथा मासिक प्रपत्र में अन्य सामग्री केरोसीन व चीनी की सूचना दर्ज नहीं की जाने से राजस्थान खाद्यान्न एवं एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन आदेश 1976 के प्रावधानो के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंघन करने पर डीलर का प्राधिकार पत्र व प्रति भूति राशि जप्त किये जाने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधीवत है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश में कोई अनियमितता होना नहीं पाए जाने से इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अत: उपर्युक्त विवेचन अनुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील भी अस्वीकार की जाती है तथा जिला रसद अधिकारी जालोर के अपीलाधीन आदेश को यथावत रखा जाता है।

(बी.एल.कोठारी)
जिला कलेक्टर
जालोर

निर्णय दिनांक 22.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बी.एल.कोठारी)
जिला कलेक्टर,
जालोर